



75



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर बृत्त रीवा (म०प्र०)



R 5214/17

छेदी लाल गुप्ता तनय स्व०श्री गयादीन गुप्ता निवासी ग्राम
अमिरती,पो०मनगंवा,तहसील मनगंवा,जिला रीवा म०प्र०

अधिका. श्री चिपूषशील मिश्रा
द्वारा पेशा 22-5-17

.....निगरानीकर्ता/ आवेदक

बनाम

स्वामी श्री हरीदास जी शिष्य श्रीमान् 1008 श्रीस्वामी रामहर्षण दास जी
महाराज द्वारा मुख्तारआम श्री शंकर प्रसाद मिश्रा पिता स्व०श्री रामकुमार
मिश्रा निवासी खीरा हाउस फोर्ट रोड रीवा, तहसील हुजूर,जिला रीवा
म०प्र०

स्वामी श्री हरीदास जी शिष्य श्रीमान् 1008 श्रीस्वामी रामहर्षण दास जी
महाराज द्वारा मुख्तारआम श्री शंकर प्रसाद मिश्रा पिता स्व०श्री रामकुमार
मिश्रा निवासी खीरा हाउस फोर्ट रोड रीवा, तहसील हुजूर,जिला रीवा
म०प्र०गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी तहसील
मनगंवा जिला रीवा म०प्र० द्वारा प्रकरण
क्रमांक 83अ6/अपील/15-16 स्वामीश्री
हरिदास जी बनाम छेदी लाल गुप्ता मे पारित
आदेश दिनांक 27.4.017 के बिरुद्ध निगरानी
अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०राजस्व संहिता .

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय मे
आवेदक के बिरुद्ध एक अपील प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है
कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष मे किये गये नामान्तरण
आदेश दिनांक 25.4.013 को निरस्त किया जाय,साथ ही उस अपील


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R5214-II/17

जिला-सीवा

पक्षकार का नाम देदीलाल गुप्ता-स्वामी हरियाल

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	